DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Political science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Email-Kdkbharti08@gmail.com
B.A Part-3.Paper-7.Date-14-08-2020

प्रतिनिधि सरकार पर जे.एस.मिल के विचारों का विवेचना------

जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावादी विचारक थे। उन्होंने राज्य व शासक के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार प्रकट किये हैं---

राज्य की उत्पत्ति----मिल का कहना है कि राज्य किसी प्रकार के अनुबन्ध का परिणाम नहीं है।उसके अनुसार राज्य और शासन की उत्पत्ति मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण हुई है और उसका लक्ष्य सामाजिक तथा सार्वजनिक कल्याण की अभिवृद्धि करना है।

प्रतिनिधि शासन----शासन की सर्वश्रेष्ठता उसकी दक्षता में नहीं है इसके विपरीत वह शासन श्रेष्ठ है जो अपने नागरिकों को अच्छी राजनीतिक शिक्षा देता है।अच्छी सरकार का मापदण्ड यही है कि वह कहाँ तक अपने नागरिकों में व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से गुणों का विकास कर सकती है।इस दृष्टि से मिल ने प्रतिनिधि शासन का समर्थन किया है।आर्दश शासन व्यवस्था वह शासन है जिसमें सभी लोग मिलकर शासन करते हैं।मिल ने परोक्ष प्रजातंत्र को समर्थन किया है क्योंकि उसे ज्ञात था कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आधुनिक समय से विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है।

सरकार के कार्य---मिल के अनुसार एक आर्दश प्रतिनिधि सरकार के निम्न कार्य होना चाहिए----

१. नागरिकों का बौद्धिक तथा नैतिक विकास----मिल का कहना है कि एक सरकार को ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए जिससे व्यक्तिक विकास का अनुकूल वातावरण बनाया जा सके।मिल व्यक्ति के बौद्धिक तथा नैतिक विकास के अनुकूल वातावरण बनाना ही राज्य का एक प्रमुख कार्य समझता है।

२.वैयक्तिक स्वतंत्रता----मिल का कहना है कि व्यक्ति उसी समय अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है जबकि सरकार द्वारा निर्मित कानून उसकी स्वतंत्रता का हनन न करें।इस दृष्टि से मिल का कहना है कि सरकार को कम से कम कानून बनाने चाहिए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिक से अधिक रक्षा हो सकें।

३.अहस्तक्षेप की नीति---मिल का कहना है कि सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करने की नीति में अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और उससे प्रशासन के कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हो जायेगा।

४.विधि निर्माण---यद्यपि मिल वैयक्तिक स्वतंत्रता का पक्षपाती है, किन्तु फिर भी सरकार को विधि निर्माण कार्य सौपता है।उसका कहना है कि प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा के लिए सरकार को विधि निर्माण का कार्य करना चाहिए।मिल ने व्यवस्थापिका को विधि निर्माण का कार्य सौंपा है वह केवल सरकार के इस कार्य पर इतना प्रतिबन्ध लगता है कि उसके द्वारा निर्मित कानून से व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन न हो।

५.निर्वाचन सम्बन्धी विचार---मिल एक ऐसे प्रतिनिधि प्रशासन का पक्षपाती था जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित अधिक से अधिक व्यक्ति भाग ले सकें किन्तु निर्वाचन के सम्बन्ध में उसकी विचाधारायें निम्नलिखित थी---

*1.*यह निर्वाचन में एक ऐसी निर्वाचन पद्धति का प्रयोग करना चाहता था जिसमें सरकार के कार्य का संचालन करने के लिए समाज के सर्वश्रेष्ठ, बुद्धिमान एवं क्षमताशील व्यक्ति ही निर्वाचत हो सके।योग्य व्यक्ति ही शासन का संचालन भली प्रकार कर सकते हैं।मिल ने एक स्थान पर लिखा है, क्योंकि किसी भी सरकार का सर्वोत्तम गुण यह है कि वह अपने नागरिकों का बौद्धिक तथा नैतिक विकास करने में सहायक है, इसलिए एक अच्छी और बुद्धिमान सरकार को इस बात का पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि सामाजिक जीवन के संचालन पर उसके सबसे अधिक बुद्धिमान सदस्यों की बुद्धि और सदाचार का प्रभाव पड़े।

2. वह निर्वाचकों को इस प्रकार विनियमित करने के पक्ष में था जिससे अयोग्य व्यक्तियों को निर्वाचित ही न किया जा सके।

६.मताधिकार सम्बन्धी विचार----मिल नागरिकों को मताधिकार देने का पक्षपाती था।इस सम्बन्ध में उसने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए-----

१.शिक्षा सम्बन्धी योग्यता
२.बहुकल मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
३.स्त्री मताधिकार
४.सार्वजनिक मतदान प्रणाली
५.विद्वानों को विशेषाधिकार

७.व्यवस्थापिका सम्बन्धी विचार---मिल ने प्रतिनिधित्व सरकार की व्यवस्था के सम्धन्ध में भी अपने विचार व्यक्त किए

१.मिल व्यवस्थापिका में वार्षिक निर्वाचन का पक्षपाती नहीं था।

२.वह व्यवस्थापिका में अविकसित बौद्धिक स्तर वाले व्यक्तियों को बुद्धि वाले व्यक्तियों के समान नहीं समझता था।

३.व्यवस्थापिका को केवल वाद विवाद करने विचार करने तथा लोकमत प्रकट करने के कार्य तक ही सीमित रहना चाहिए।

४.प्रशासन स्थायी कर्मचारियों द्वारा चलाया जाना चाहिए,तथापि प्रशासकीय स्थायी कर्मचारी मंत्रियों के अधीन कार्य करें ताकि शासन में क्षमता और लोकतंत्र दोनों ही तत्वों का समावेश हो सकें।

८.प्रजातन्त्र के सम्बन्ध में मिल के विचार----मिल के मतानुसार प्रजातन्त्रत्मक शासन प्रणाली मानव अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। व्यक्ति अपने अधिकारों और हितों की रक्षा स्वयं ही कर सकता है ऐसा करने के लिए प्रजातंत्र शासन प्रणाली उसकी विशेष रूप से सहायता करती है।इसलिए व्यक्ति को अथवा जनता को सरकार पर प्रत्यक्ष अथवा प्रोक्ष रूप से नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

मिल का कहना है कि जनता के प्रतिनिधियों को शासन सम्बन्धी समुचित शक्तियाँ प्राप्त न हो तो शासन में नकारात्मक दोष उत्पन्न हो जाता है और अज्ञानता एवं अनुभवहीनता प्रशासन के प्रत्येक कार्य में परिलक्षित होने लगती है।अतएव सरकार को एक आर्दश से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए जिससे व्यक्ति का सर्वोन्मुखी विकास हो सकें।

आगे, धन्यवाद।

2020-08-14
© From vivo Notes

Scanned with CamScanner